संख्या-21/2022/4015/30-3-2022/06बी/2014

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली-2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 17.02.2021 के अनुमोदन के क्रम में अग्रिम रूप से भुगतान किये जाने की स्वीकृति के साथ-साथ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1864स०सु०/2021-02स०सु०/2018-21, दिनांक 20.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में अग्रिम आहरण की अनुमति संबंधी शासनादेश संख्या-2445/30-3-2021 दिनांक 20.10.2021 द्वारा इंसपेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेन्टर कानपुर एवं आगरा में कंसल्टेन्शी चार्ज के भुगतान हेतु अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि रू० 7.08 लाख पर कोषागार द्वारा लगायी गयी आपत्ति के दृष्टिगत आवश्यक संशोधन कराकर संशोधित शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में इंसपेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेन्टर कानपुर एवं आगरा में कंसल्टेन्शी चार्ज के भुगतान हेतु संबंधित संस्था इन्टरनेंशनल सेन्टर फार आटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आई.कैट) मनेसर को अग्रिम आहरण के रूप में धनराशि रू० 7.08 लाख का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 150/2021/2413/30-3-21-6बी/2014 दिनांक 22.09.2021 में उल्लिखित शर्तो का यथावत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-9-3548-दस-2021-22, दिनांक 10 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2022/4015(1)/30-3-2022,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8. वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in